सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 184 राँची, मंगलवार, 5 मार्च, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

31 जनवरी, 2019

कृपया पढ़ें-

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-606, दिनांक 28.02.2017
2. उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, देवघर का पत्रांक-243/म०को०, दिनांक 08.02.2017
3. उपायुक्त, देवघर का पत्रांक-94/वि०, दिनांक 15.01.2018
4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-5470, दिनांक 18.04.2017, पत्रांक-10578, दिनांक 13.10.2017 एवं संकल्प सं०-298 (HRMS), दिनांक 24.04.2018
5. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-168, दिनांक 16.08.2018

संख्या-5/आरोप-1-105/2016 का० 972-- श्री संतोष कुमार चौधरी, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुपुर, देवघर के विरूद्ध मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में वित्तीय अनियमितता बरतने, अभिलेखों का संधारण नियमानुसार नहीं करने तथा मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन करने संबंधी आरोप ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-606,

दिनांक 28.02.2017 के माध्यम से उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, देवघर के पत्रांक-243/म०को०, दिनांक 08.02.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5470, दिनांक 18.04.2017 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इन्होनें पत्र, दिनांक 15.09.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। श्री चौधरी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10578, दिनांक 13.10.2017 द्वारा उपायुक्त, देवघर से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-94/वि०, दिनांक 15.01.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।

श्री चौधरी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, देवघर से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-298 (HRMS), दिनांक 24.04.2018 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-168 दिनांक 16.08.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को सही नहीं पाया गया।

श्री चौधरी के विरूद्ध प्रतिवदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए **श्री संतोष कुमार चौधरी, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच,) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुपुर, देवघर को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 184 -- 50